

23.07.2025:—पत्रावली आज प्रार्थी जोतराम जरिये जरिये अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह बराड द्वारा प्रार्थना पत्र करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यावाही नहीं चाहता इसलिए अपना प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर विद्धा करना चाहता है। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का स्थगन आदेश दिनांक 29.04.2016 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11/21

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
मानगढ